

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(एस-547) अलेसे-I/458-65 दिनांक:- 19-06-2023

आदेश

श्री सुगर सिंह मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (तत्समय निलम्बित) (लिंक नं0 9136), कार्यालय-उपकोषाधिकारी, बसवा (दौसा) को निदेशालय के आदेश क्रमांक 291 दिनांक 19.01.2021 द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 15/2021 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वारा उनको गिरफ्तार करने की दिनांक 12.01.2021 से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषालय, **टोक** किया गया था।

श्री मीना को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री मीना के विरुद्ध बाद अनुसंधान दिनांक 16.08.2022 को चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। श्री मीना द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री सुगर सिंह मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में इनकी बहाली दिनांक 09.02.2023 तक के लिए 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(एस-547) अलेसे-I/458-65 दिनांक:- 19-06-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
- 3 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर।
- 4 कोषाधिकारी, **टोक**।
- 5 उपनिदेशक (एसपीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 श्री सुगर सिंह मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, मुख्यालय-उपकोषाधिकारी, बसवा (दौसा)।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 8 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)